न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

मिसल नम्बर–51/2025

जीसीएमएस नं0– 2025/319

1.पवन पुत्र किशनलाल आयु 25 वर्ष जाति धाकड़ निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा,

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् वाद पत्र।)

दिनांक 25/7/25

उपस्थितिः–

1.श्री ओम प्रकाश नागर अधिवक्ता प्रार्थी।

2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना –पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के नाम से पैतृक संयुक्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम बृजेशपुरा पटवार हल्का दसलाना भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। जिसके खाता संख्या नया 170 पुराना 51 के खसरा नं0 460 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 473 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 522 रकबा 2.60 है0 कुल 3 किता रकबा 2.73 है0 में वादी का 1/135 हिस्सा निहित है। वादी का उक्त आराजी में पिता के फोती इंतकाल में पवन पुत्र ग्यारस्या अंकित कर दिया गया जबकि वादी के पिता का नाम किशनलाल है। और वादी के अन्य भाई बहिन का उक्त संयुक्त आराजी में पिता का नाम किशनलाल दर्ज है। वादी के बोर्ड से प्राप्त अंकतालिका, परिवार का जनआधार कार्ड एवं स्वयं का आधार कार्ड में पवन पुत्र किशनलाल अंकित है। वादी के पिता किशनलाल के दादा ग्यारस्या है। सहवन से वादी के पिता किशनलाल के स्थान पर वादी के दादा का नाम अंकित कर दिया। जबकि वादी के अन्य संयुक्त खातदारी आराजी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 364 पुराना 117 के खसरा नं0 672 रकबा 0.99 है0 आराजी में पवन पुत्र किशनलाल का 1/135 हिस्सा अंकित है। ताथेड़ की आराजी में वादी के पिता का नाम सही अंकित कर रखा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का नाम पवन पुत्र ग्यारस्या के स्थान पर पवन पुत्र किशनलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करे। एवं अन्य सहायता जो भी वादी को मिल सके वह भी लिवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्राम ब्रजेशपुरा जमाबंदी सम्वत 2070–73 खसरा नं0 460, 473, 522 किता 3 रकबा 2.73 है0 में प्रार्थी सहखातेदार का नाम पवन पुत्र ग्यारस्या हि0 1/135 जाति धाकड सा0 ताथेड़ दर्ज है। उपरोक्त खाते में प्रार्थी का नाम ग्राम ब्रजेशपुरा के नामान्तरकरण सं0 569 दिनांक 15.07.2016 से दर्ज किया गया है। उपरोक्त नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम पवन पुत्र किशनलाल जाति धाकड़ दर्ज किया गया था परन्तु जमाबंदी ऑनलाइन करते समय सेग्रीगेशन में सहवन से वादी का नाम पवन पुत्र गयारस्या जाति धाकड़ दर्ज हुआ है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। पटवारी रिपोर्ट के माध्यम से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त खाते में प्रार्थी का नाम ग्राम ब्रजेशपुरा के नामान्तरकरण सं0 569 दिनांक 15.07.2016 से दर्ज किया गया है। उपरोक्त नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम पवन पुत्र किशनलाल जाति धाकड़ दर्ज किया गया था परन्तु जमाबंदी ऑनलाइन करते समय सेग्रीगेशन में सहवन से वादी का नाम पवन पुत्र गयारस्या जाति धाकड़ दर्ज हुआ है। तहसीलदार रिपोर्ट में संलग्न नामान्तरकरण की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम पवन पुत्र किशनलाल जाति धाकड़ दर्ज किया गया था परन्तु जमाबंदी ऑनलाइन करते समय सहवन से वादी का नाम पवन पुत्र गयारस्या जाति धाकड़ दर्ज हो गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, अंकतालिका की प्रति के अवलोकन से भी प्रार्थी के कथनो की पुष्टि होती है कि प्रार्थी का नाम पवन पुत्र किशनलाल के स्थान पर पवन पुत्र ग्यारस्या दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम बृजेशपुरा में खाता सं0 170 नया खसरा नं0 460 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 473 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 522 रकबा 2.60 है0 कुल 3 किता रकबा 2.73 है0 में प्रार्थी का नाम पवन पुत्र ग्यारस्या के स्थान पर पवन पुत्र किशनलाल दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 25/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा